



Neutral Citation No. - 2026:AHC-45128-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित
आरक्षित दिनांक : 09.02.2026
प्रदत्त दिनांक : 27.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2130 सन् 2026

किशोरी लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:- शशि कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:- सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजित कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

(स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त)

1. श्री शशि कुमार मिश्रा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा सुश्री श्रुति मालवीया, विद्वान संक्षिप्त धारक, जो राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुईं, को सुना गया।
2. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संस्थित की गई है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए कि वह दिनांक 02.08.2018 के सरकारी अधिसूचना एवं दिनांक 08.07.2021 के सरकारी आदेश के दृष्टिगत याचिकाकर्ता को रु. 4,00,000/- का भुगतान करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रकरण की पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 23.08.2019 को याचिकाकर्ता की पत्नी, श्रीमती राज कुमारी, कृषि क्षेत्र में कार्य करते समय सर्पदंश की शिकार हुई और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात, इस संबंध में पुलिस द्वारा दिनांक 24.08.2019 को जनरल डायरी प्रविष्टि सं. 015 दर्ज की गई, जिसमें अंकित किया गया कि मृतका की मृत्यु सर्पदंश से हुई है। उसी दिन पंचनामा तैयार किया गया और साक्षियों के बयान अभिलिखित किए गए, जिनमें यह इंगित किया गया कि मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई है। मृतका का शव परीक्षण भी दिनांक 24.08.2019 को कराया गया, परंतु शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं हो सका और यह अंकित किया गया कि मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप, मृतका के विसरा को परीक्षण हेतु संरक्षित करके संबंधित प्राधिकारियों को सौंपा गया।

4. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने अनुग्रह भुगतान हेतु आवेदन किया, यह दावा करते हुए कि उनकी पत्नी की मृत्यु सर्पदंश से हुई है, जो प्रतिकर के लाभ हेतु दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित है। प्रक्रिया के अनुसार, स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिस दौरान लेखपाल ने ग्राम में उपस्थित एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोगों से बातचीत की। तत्पश्चात, लेखपाल द्वारा दिनांक 23.03.2022 को रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में अंकित किया गया कि वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि मृत्यु सर्पदंश से हुई है। इसके पश्चात, दिनांक 30.03.2022 को उप-जिलाधिकारी, कोंच, जिला जालौन ने अपर जिलाधिकारी, जालौन को पत्र लिखा। उक्त पत्र में लेखपाल की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए स्थलीय निरीक्षण एवं ग्राम में उस समय उपस्थित लोगों के बयानों का उल्लेख किया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी दिनांक 23.08.2019 को अपने खेत में कृषि कार्य में संलग्न रहते हुए सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुई। तथापि, उप-जिलाधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकरण सरकारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत आच्छादित नहीं होता और इसलिए याचिकाकर्ता अनुग्रह भुगतान का हकदार नहीं है। अस्वीकृति का कारण यह था कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर्पदंश अंकित नहीं था, जबकि रिपोर्ट में वस्तुतः यह कहा गया था कि मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. याचिकाकर्ता ने 'जनसुनवाई पोर्टल' के माध्यम से संदर्भ सं. 40016522003379 एवं 40016522005028 की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करते हुए भी अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने पुनः अपना यह दावा दोहराया कि उनकी पत्नी की मृत्यु सर्पदंश से हुई है और उन्हें अनुग्रह भुगतान प्रदान नहीं किया गया। उप-जिलाधिकारी, कोंच ने दिनांक 28.05.2022 के आदेश द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के दावे को पुनः अस्वीकार कर दिया, जिसमें उसी लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 एवं शव परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.08.2019 का संदर्भ दिया गया। आदेश में दिनांक 08.07.2021 के सरकारी आदेश का भी उल्लेख किया गया, परंतु इस बार यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूँकि मृत्यु दिनांक 08.07.2021 से पूर्व हुई थी, इसलिए सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु का याचिकाकर्ता का प्रकरण इस अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित नहीं होगा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु सर्पदंश से हुई और इसलिए यह प्रकरण दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत आच्छादित है तथा याचिकाकर्ता रु. 4,00,000/- के अनुग्रह भुगतान का हकदार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रारंभ से ही, जिसमें जनरल डायरी प्रविष्टि, पंचनामा तथा लेखपाल द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों के बयान शामिल हैं, यह एकसमान संस्करण रहा है कि मृतका कृषि क्षेत्र में कार्य करते समय सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुई।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में स्वयं उस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित लोगों के बयान दर्ज हैं, जिन सभी ने मृत्यु के कारण के संबंध में याचिकाकर्ता के कथन का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो सर्पदंश से भिन्न किसी अन्य कारण से मृत्यु का सुझाव देती हो और याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति मानसिक प्रयोग के अभाव में तथा आधारहीन थी।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट ने मृत्यु का कारण किसी अन्य कारण को नहीं बताया और केवल यह अंकित किया कि मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ऐसी परिस्थितियों में, चिकित्सीय रिपोर्ट की मृत्यु के कारण को निर्णायक रूप से निर्धारित करने में असमर्थता को याचिकाकर्ता के विरुद्ध नहीं माना जा सकता था, विशेषकर जब चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का खंडन नहीं करता। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मध्य कोई विरोध नहीं था क्योंकि शव परीक्षण रिपोर्ट ने मृत्यु का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं बताया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जहाँ चिकित्सीय रिपोर्ट प्रत्यक्षदर्शियों के संस्करण का खंडन नहीं करती, वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के सुसंगत एवं पुष्ट बयानों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता का आवेदन यह कहकर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था कि मृत्यु के कारण के सर्पदंश होने के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अनुग्रह भुगतान हेतु अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति एक मनमाना निर्णय था और इसलिए विधि में अपोषणीय है।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संक्षिप्त धारक ने प्राधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश लागू सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार उचित रूप से पारित किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अपने आवेदन के साथ यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे कि उनकी पत्नी की मृत्यु सर्पदंश से हुई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे पर पश्चातवर्ती सरकारी आदेश दिनांक 08.07.2021 के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु दिनांक 08.07.2021 से बहुत पूर्व हो चुकी थी।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए परस्पर विरोधी तर्कों के प्रकाश में, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पश्चातवर्ती सरकारी आदेश दिनांक 08.07.2021 पूर्ववर्ती सरकारी अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 का स्पष्टीकारक है और, स्पष्टीकारक प्रकृति का होने के कारण, उसे एक बाह्य सहायता के रूप में दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना को समझने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है जहाँ सर्पदंश से मृत्यु दिनांक 23.08.2019 को हुई हो, इस प्रयोजन से कि अनुग्रह राहत प्रदान की जाए। तत्पश्चात इस न्यायालय को यह विचार करना है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के संबंध में निर्णायक मत के अभाव में, याचिकाकर्ता का दावा साक्षियों के सुसंगत बयानों के आधार पर पोषणीय है या नहीं, जो सरकारी कार्यवाहियों में उल्लिखित हैं, विशेषकर जब ऐसा साक्ष्य एकरूपता से याचिकाकर्ता के संस्करण का समर्थन करता हो और विचाराधीन नीति एक कल्याणकारी उपाय हो जो राज्य-विशिष्ट आपदा/प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में लागू होती है, जिन्हें सरकारी अधिसूचना में सूचीबद्ध किया गया है।

11. विचारणीय मुद्दों की सराहना करने के लिए, सरकारी अधिसूचनाओं के जारी होने की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का अनुरेखण करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश में राज्य-विशिष्ट आपदाओं की समस्या के समाधान हेतु अधिसूचनाएँ जारी कीं। इस संबंध में पहली अधिसूचना दिनांक 27.06.2016 को अधिसूचना सं. 303/1-11-2016-4(G)/16 के तहत जारी की गई, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से किए जाने वाले व्यय हेतु निधियों के संबंध में विधाओं का प्रावधान किया गया। सुविधा के लिए, उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना का सुसंगत भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"2. प्रतिवर्ष प्रदेश में असामयिक भारी वर्षा, तूफान, बिजली गिरने और लू से बड़ी संख्या में जन-धन की क्षति होती है। अतः भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश सं. 249/1-11-2015-4(G)/2015, दिनांक 15.04.2015 (जो कि दिनांक 16.04.2015 को संशोधित हुआ था) को निरस्त करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय असामयिक भारी वर्षा, तूफान, बिजली गिरने और लू को राज्य आपदा घोषित करने को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को राज्य आपदा राहत निधि हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी।

4. उपरोक्त उल्लिखित राज्य आपदाओं के संबंध में अनुदान सं. 51 के अंतर्गत लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा से राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-800-अन्य व्यय-06-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय-42 अन्य व्यय से वहन किया जाएगा।

5. राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।"

(अधिसूचना मूलतः हिन्दी में है)

12. तत्पश्चात दिनांक 02.08.2018 को राज्य ने एक अन्य अधिसूचना सं. UO 30/1-11-2018-4(G)/2015 जारी की, जिसमें सर्पदंश को विशेष रूप से अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ सम्मिलित किया गया। सुविधा के लिए, अधिसूचना का सुसंगत भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"2. शासनादेश सं. 303/1-11-2016-4(G)/2015, दिनांक 27.06.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई उपरोक्त व्यवस्था की निरंतरता में असामयिक भारी वर्षा, बिजली गिरने, तूफान और लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

3. महामहिम राज्यपाल महोदय, शासनादेश दिनांक 27.06.2016 के अंतर्गत घोषित आपदाओं, जैसे असामयिक भारी वर्षा, बिजली गिरना, तूफान और लू के अतिरिक्त निम्नलिखित घटनाओं को भी राज्य-अधिसूचित आपदा घोषित करने को स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः असामयिक भारी वर्षा, बिजली गिरना, तूफान और लू के साथ-साथ नाव



दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई के दौरान हुई दुर्घटना, गैस रिसाव, और राज्य के भीतर बोरवेल में गिरने से हुई दुर्घटनाएँ।

4. मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित करने पर सैद्धांतिक सहमति हो गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

5. उपरोक्त घोषित राज्य आपदाओं के संबंध में किए गए व्यय को अनुदान सं. 51 के अंतर्गत लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा से राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-800-अन्य व्यय-06-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के तहत वहन किया जाएगा।"

(अधिसूचना मूलतः हिन्दी में है)

13. वर्ष 2018 में सर्पदंश को सूची में सम्मिलित किया गया और अनुभव के आधार पर राज्य को यह अनुभव हुआ कि कल्याणकारी योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं, अतः राज्य ने अपने अपर मुख्य सचिव के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किए, जो पत्र सं. 157/A-11-2020-04(G)/2015-TC दिनांक 08.07.2021 द्वारा सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित किए गए। सुविधा एवं स्पष्टता के लिए, सम्पूर्ण पत्र नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"अति महत्वपूर्ण

सं.-157/A-11-2020-04(G)/2015-TC

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 08 जुलाई, 2021

विषय:- सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महोदय,

1. उपरोक्त शासनादेश सं. U.O.-20/एक-11-2018-4(G)/2015 दिनांक 02.08.2018 में सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि सर्पदंश से मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रु. 4.00 लाख की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

2. सरकार के संज्ञान में यह आया है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रमाणन के प्रयोजन से मृतक का विसरा फॉरेंसिक प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाता है और विसरा परीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को समय से अनुग्रह सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। राज्य विधि-विज्ञान प्रकोष्ठ के मत के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा परीक्षण रिपोर्ट पर आग्रह किए जाने का कोई औचित्य नहीं है और यह सूचित किया गया है कि सर्पदंश से मृत्यु केवल विसरा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्थापित नहीं होती।

3. राज्य मेडिको लीगल प्रकोष्ठ की सलाह और उचित विचार के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में, चूँकि विसरा परीक्षण रिपोर्ट की कोई सुसंगति नहीं है, मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए:

(1) मृतक का पंचनामा तैयार किया जाए।

(2) मृतक का शव परीक्षण कराया जाए।

(3) शव परीक्षण के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट संरक्षित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 7 दिनों की अवधि के भीतर अनुग्रह सहायता प्रदान की जाए।

4. तदनुसार, मुझे यह निर्देश दिया गया है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में, उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए, मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित समस्त विषयों का 7 दिनों की अवधि में निस्तारण करने का प्रयास किया जाए।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।"

(पत्र मूलतः हिन्दी में है)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचनाओं एवं तत्पश्चात के संप्रेषण के अवलोकन मात्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का अंतर्निहित उद्देश्य उन परिवारों को समय पर सहायता प्रदान करना है जिन्होंने उसमें चिंतित परिस्थितियों के कारण परिवार के किसी सदस्य को खोया हो। यह योजना एक कल्याणकारी उपाय की प्रकृति में है जो जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसलिए, योजना के अंतर्गत अधिकार का निर्धारण करते समय तकनीकीताओं के आधार पर अस्वीकृति राज्य द्वारा प्राप्त करने के लिए अभीष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य के प्रतिकूल होगी।

15. उपरोक्त अधिसूचनाओं के प्रयोजन के संबंध में पृष्ठभूमि और अंतर्निहित सिद्धांत पर चर्चा के पश्चात, निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या पश्चातवर्ती सरकारी अधिसूचना दिनांक 08.07.2021 को दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना को समझने या उसकी व्याख्या करने के लिए एक बाह्य सहायता के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह प्रशासनिक विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पश्चातवर्ती अनुदेश, परिपत्र या अधिसूचनाओं का उपयोग पूर्ववर्ती नीति की व्याख्या करने में स्पष्टीकारक सहायता के रूप में किया जा सकता है, विशेषकर जहाँ पूर्ववर्ती नीति लाभकारी प्रकृति की हो। राज्य की लाभकारी योजनाओं या नीतियों की उनके अभीष्ट उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्यपरक और उदारता से व्याख्या करना अपेक्षित है, न कि अति-तकनीकी या प्रतिबंधात्मक रूप से।

16. *WPIL लिमिटेड गाजियाबाद बनाम आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ, (2005) 3 SCC 73* में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टीकारक अधिसूचनाओं की प्रकृति और प्रभाव पर विचार करते हुए *CCE बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड, (1995) 3 SCC 454* में अपने पूर्ववर्ती निर्णय का संदर्भ दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिलक्षित किया कि जहाँ एक अधिसूचना स्पष्टीकारक प्रकृति की हो, वह भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित होती है क्योंकि वह कुछ नया नहीं लाती बल्कि केवल उस बात को स्पष्ट और सुस्पष्ट करती है जो विद्यमान विधिक ढाँचे में पहले से निहित था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:

"15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के *CCE बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड [(1995) 3 SCC 454]* में निर्णय पर निर्भरता रखने में भी सही हैं। उस प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि एक स्पष्टीकारक अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी। ऐसी अधिसूचना केवल स्थिति को स्पष्ट करती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है और उसे सुस्पष्ट करती है जो निहित था। पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने के लिए स्पष्टीकारक अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।"

17. **भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन, (2018) 17 SCC 394** में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे संशोधन के मुद्दे पर विचार किया है जो भूतलक्षी प्रकृति का माना गया था। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने **CIT बनाम वातिका टाउनशिप (P) लिमिटेड, (2015) 1 SCC 1** के वाद में निर्णय उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिलक्षित किया:

"32. आइए चर्चा को थोड़ा और तीक्ष्ण करें। हम यह नोट कर सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, किसी विशेष संशोधन को स्पष्टीकारक या घोषणात्मक प्रकृति का माना जा सकता है। ऐसे विधायी प्रावधानों को "घोषणात्मक विधि" की संज्ञा दी जाती है। जिन परिस्थितियों में प्रावधानों को "घोषणात्मक विधि" कहा जा सकता है, उन्हें न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह [वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, (13वाँ संस्करण, लेक्सिससनेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर, 2012)] द्वारा निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है:

"घोषणात्मक विधि। भूतलक्षी प्रवर्तन के विरुद्ध उपधारणा घोषणात्मक विधि पर लागू नहीं होती। जैसा कि क्रेज़ में कहा गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम कामगार [सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम कामगार, AIR 1960 SC 12, पृ. 27, पैरा 29] में): आधुनिक प्रयोजनों के लिए घोषणात्मक अधिनियम को एक ऐसे अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधारण विधि, या किसी विधि के अर्थ या प्रभाव के बारे में विद्यमान संदेहों को दूर करने के लिए बनाया गया हो। ऐसे अधिनियम सामान्यतः भूतलक्षी माने जाते हैं। घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का सामान्य कारण यह है कि संसद जो न्यायिक त्रुटि मानती है उसे, चाहे वह साधारण विधि के कथन में हो या विधि की व्याख्या में हो, दूर करना। सामान्यतः, यदि हमेशा नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है और साथ ही "अधिनियमित" शब्द के साथ "घोषित" शब्द भी होता है। परंतु "यह घोषित किया जाता है" शब्दों का प्रयोग यह निश्चित रूप से नहीं दर्शाता कि अधिनियम घोषणात्मक है क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग कभी-कभी विधि के नए नियमों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है और बाद के मामले में अधिनियम केवल विधि में संशोधन करेगा और आवश्यक रूप से भूतलक्षी नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होगा। अतः, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण करने में, प्रारूप के बजाय सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि एक नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की "व्याख्या करने के लिए" है, तो यह भूतलक्षी रूप से निर्वचित किए जाने के बिना उद्देश्यहीन होगा। व्याख्यात्मक अधिनियम सामान्यतः किसी स्पष्ट चूक की पूर्ति करने या पूर्ववर्ती अधिनियम के अर्थ के संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह सुस्थापित है कि यदि कोई विधि उपचारी है या केवल पूर्व विधि का घोषणात्मक है तो भूतलक्षी प्रभाव सामान्यतः अभीष्ट होता है। "सदैव ऐसा अर्थ रहा है" भाषा घोषणात्मक है और स्पष्ट रूप से भूतलक्षी है। स्पष्ट शब्दों के अभाव में, जो यह दर्शाते हैं कि संशोधन अधिनियम घोषणात्मक है, इस प्रकार निर्वचित नहीं किया जाएगा जब पूर्व-संशोधित प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध था। संशोधन अधिनियम मुख्य अधिनियम के किसी प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध रूप से स्पष्टीकारक हो सकता है जो पहले से निहित था। इस प्रकृति का स्पष्टीकारक संशोधन भूतलक्षी प्रभाव रखेगा और इसलिए, यदि मुख्य अधिनियम संविधान लागू होने के समय विद्यमान विधि थी, तो संशोधन अधिनियम भी विद्यमान विधि का भाग होगा।"

18. उपरोक्त सिद्धांत के दृष्टिगत, हम इस मत के हैं कि पश्चातवर्ती विधान या नीति को पूर्ववर्ती प्रावधान को समझने में एक बाह्य सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, विशेषकर जब पश्चातवर्ती उपाय लाभकारी, स्पष्टीकारक या घोषणात्मक प्रकृति का हो और कोई नया अधिकार सृजित न करता हो। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पश्चातवर्ती विधान या नीति कभी-कभी पूर्ववर्ती प्रावधान के पीछे विधायी आशय पर प्रकाश डाल सकती है, विशेषकर जब पश्चातवर्ती विधि पूर्ववर्ती स्थिति को बदलने के बजाय स्पष्ट करती हो। पश्चातवर्ती विधि, संशोधन या नीति का उपयोग एक व्याख्यात्मक सहायता के रूप में किया जा सकता है यदि वह पूर्ववर्ती विधि में अस्पष्टता की व्याख्या या स्पष्टीकरण करती हो या घोषणात्मक या व्याख्यात्मक प्रकृति की हो या वह पूर्ववर्ती प्रावधान की विधायिका की समझ को प्रतिबिंबित करती हो।

19. यह भी एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी घटना के समय या उसके निकट के समय तैयार किए गए बयान, रिपोर्ट और अभिलेख तथ्यों के निर्धारण में पर्याप्त महत्व रखते हैं, विशेषकर जहाँ कोई निर्णायक साक्ष्य न हो। वर्तमान प्रकरण में, जनरल डायरी प्रविष्टि, पंचनामा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद अभिलिखित साक्षियों के बयान समकालीन अभिलेख हैं, जिनमें एकरूपता से कहा गया है कि मृत्यु सर्पदंश से हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट, यद्यपि अनिर्णायक है, इन अभिलेखों का खंडन नहीं करती। इसलिए, समकालीनता के सिद्धांत (contemporanea expositio) को लागू करने के पश्चात, बयानों की एकरूपता यह इंगित करती है कि वे मृत्यु के कारण के निर्धारण में विश्वसनीय साक्ष्य हैं, और प्राधिकारी एक लाभकारी नीति के अंतर्गत दावों के अधिनिर्णय में ऐसी समकालीन सामग्री को उचित महत्व देने के लिए बाध्य हैं। समकालीन साक्ष्य पर विचार न करना और अनिर्णायक शव परीक्षण जैसी अति-तकनीकी कारणों को अनुचित महत्व देना सुप्रसिद्ध विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

20. पूर्ववर्ती मुद्दे पर विचार के पश्चात, अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.07.2021 को जारी आदेश/परिपत्र की प्रकृति है। आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि यह केवल यह स्पष्ट करता है कि सर्पदंश मृत्यु से उत्पन्न दावों पर पूर्ववर्ती नीति के अंतर्गत इस प्रकार कैसे विचार किया जाए ताकि लाभार्थियों को बिना विलंब के प्रतिकर प्राप्त हो। यह कोई नई सीमा नहीं लगाता और न ही यह उसके जारी होने से पूर्व हुई मृत्युओं को प्रभावित करता है। स्पष्टीकारक अधिसूचना से संबंधित सिद्धांत सुमान्य है, और उसके अनुसार, एक अधिसूचना या परिपत्र जो केवल पूर्ववर्ती नीति के आशय को विस्तृत करती है, उसे मूल अधिसूचना के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए और पश्चातवर्ती अधिसूचना उचित क्रियान्वयन पर प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों के सावधानीपूर्वक विचार और अभिलेखों के परिशीलन के पश्चात, यह स्पष्ट है कि दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से सर्पदंश से मृत्यु को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में मान्यता देती है जो मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राहत का हकदार बनाती है। यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 02.08.2018 की अधिसूचना एक राज्य-विशिष्ट नीति है जो आपदाओं या विपदाओं के प्रकरणों में सहायता करने के लिए है जो अन्य नीतियों के अंतर्गत राहत के लिए सम्मिलित नहीं हैं। उक्त अधिसूचना इसलिए सर्पदंश से मृत्यु सहित विशिष्ट स्थानीय आकस्मिकताओं से प्रभावित परिवारों को राहत का प्रावधान करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. पश्चातवर्ती सरकारी अधिसूचना दिनांक 08.07.2021 विशेष रूप से उन परिस्थितियों को संबोधित करती है जहाँ सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के आश्रितों को तकनीकी आधारों पर, विशेषकर विसरा रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, अनुग्रह राहत से वंचित किया जा रहा था या उसमें विलंब किया जा रहा था। अधिसूचना स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि विसरा रिपोर्ट का अभाव दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा और राज्यभर के जिलाधिकारियों को निर्देश देती है कि वे अनुग्रह राहत का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें, अधिमानतः सात दिनों के भीतर। आदेश के अवलोकन मात्र से यह दर्शित होता है कि यह स्पष्टीकारक प्रकृति का है और दिनांक 02.08.2018 की अधिसूचना के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए है, न कि कोई नई नीति बनाने के लिए। याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति को अनिर्णायक शव परीक्षण निष्कर्षों या विसरा रिपोर्ट की अनुपलब्धता के आधार पर उचित ठहराने वाला विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क पूर्णतः अपोषणीय है। स्पष्टीकारक अधिसूचना ठीक ऐसे तकनीकी आधारों पर प्रभावित परिवारों को राहत से इनकार करने या उसमें विलंब को रोकने के लिए जारी की गई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीति का उद्देश्य पूरा हो।

23. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने पुलिस को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में मृत्यु का कारण बताते हुए तत्काल सूचित किया था। जनरल डायरी प्रविष्टि में मृत्यु का कारण सर्पदंश अंकित है। पंचनामा की कार्यवाही और लेखपाल द्वारा कराया गया स्थलीय निरीक्षण याचिकाकर्ता के संस्करण को और पुष्ट करता है, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान यह पुष्टि करते हैं कि मृत्यु सर्पदंश से हुई जबकि मृतका कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही थी। किसी भी स्तर पर अभिलिखित बयानों में कोई असंगति या विरोधाभास नहीं है और शव परीक्षण रिपोर्ट केवल यह कहती है कि मृत्यु का कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका, प्रत्यक्षदर्शियों के सुसंगत साक्ष्य का खंडन किए बिना। ऐसी परिस्थितियों में, समकालीनता का सिद्धांत यहाँ प्रासंगिक है और याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करने के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों पर निर्भर होना चाहिए।

24. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.07.2021 का आदेश सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में दिनांक 02.08.2018 की अधिसूचना की व्याख्या और क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन है। फलस्वरूप, हम इस मत के हैं कि याचिकाकर्ता का दावा नीतिगत ढाँचे के दायरे में पूर्णतः आता था और प्राधिकारियों को उसी आधार पर उस पर विचार करना चाहिए था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत, दिनांक 08.07.2021 के स्पष्टीकारक आदेश के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पठित, जो कि दिनांक 02.08.2018 के आदेश के अंतर्गत संभावित दुरु्यवहार को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है, राहत का हकदार है। तकनीकी आधारों पर दावे की आक्षेपित अस्वीकृति पोषणीय नहीं की जा सकती और इसलिए, दिनांक 02.08.2018 और 08.07.2021 के आदेशों को अपास्त किया जाता है। विषय को तदनुसार जिलाधिकारी, जालौन को इस निदेश के साथ प्रेषित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के दावे पर नीति के अनुसार नए सिरे से विचार किया जाए, अनिर्णायक शव परीक्षण रिपोर्ट या विसरा रिपोर्ट की अनुपलब्धता के संबंध में तकनीकी आपत्तियाँ उठाए बिना।

26. यह उन प्रकरणों में से एक है जहाँ हम पाते हैं कि दस्तावेज याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित प्रतिकर के दावे की योग्यता की बहुत कुछ कह देते हैं। सरकारी आदेश तथा अनुग्रह प्रतिकर के अनुदान के संबंध में विसरा रिपोर्ट आदि पर न निर्भर करने वाली नीति के प्रावधानों पर चर्चा करने के पश्चात, हमारा स्पष्ट मत है कि प्रतिकर के दावे को अनुमत किए जाने का अधिकार है।

27. इस आशय के प्राधिकरण हैं कि यदि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामले की योग्यता की दृष्टि से प्रकरण के तथ्यों को पूर्ण पाता है, तो उसे पुनर्विचार के लिए विषय को प्राधिकरण को प्रेषित करने के बजाय उचित राहत प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

28. हमारे उपरोक्त विचार में, हम उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय दिनांक 10.02.2026 द्वारा समर्थित हैं, जो **महेंद्र प्रसाद अग्रवाल बनाम अरविंद कुमार सिंह एवं अन्य, SLP (C) सं. 1714 वर्ष 2025** के प्रकरण में है, जिसमें अनुच्छेद 13, 14, और 15 में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलक्षित किया है:

"13. अब तक हमने जो तथ्य वर्णित किए हैं, वे एक दुखद प्रतिबिंब प्रकट करते हैं, न हमारे कानूनों का बल्कि उस तरीके का जिस तरह हम अपने कानूनों का अभ्यास करते हैं और अपने न्यायिक उपायों का उपयोग करते हैं। हमें उपदेश देने वाले के रूप में गलत नहीं समझा जाए, क्योंकि ऐसा प्रासंगिक निस्तारण उच्चतम न्यायालय के अभ्यास में भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो सकता है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हम इस पर ध्यान दें और पाठ्यक्रम सुधार करें।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि "विचार न्यायशास्त्र", जो आजकल नियमित रूप से अपनाया जा रहा है और यदि हम इस अभिव्यक्ति का उपयोग करें - न्यायालय से गेंद को बाहर फेंकना, प्रतिकूल है और प्रणाली को नुकसान पहुँचाता है।

15. जब किसी अधिकार का दावा विधिक और न्यायसंगत हो, तो राहत मिलनी ही चाहिए। संवैधानिक या वैधानिक उपाय शैक्षणिक विमर्श के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि कोई प्रकरण राहत का पात्र है, तो उसे तब और वहाँ प्रदान किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो निर्भीकता से। साम्यता का संतुलन राहत से बचने या उसे स्थगित करने से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ये विधि के विषय नहीं हैं, बल्कि उसके कार्य और अभ्यास के हैं। विधि और उसकी प्रक्रियाओं के विपरीत, समय के साथ विकसित होने वाली अच्छी प्रथाएँ लिखित कानूनों से कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं, क्योंकि इसी अभ्यास में हम विधि की भावना की स्वीकृति और आंतरिककरण देखते हैं। अच्छी प्रथाओं को पहचानना, पोषित करना और विकसित करना आवश्यक है जो आदतें बन जाती हैं। ये आदतें साझा विश्वास, मूल्यों और दृष्टिकोण से आती हैं जो विधि के शासन में जीवन शक्ति का संचार करती हैं। कानूनी संस्कृति सामूहिक विश्वासों को एकीकृत करती है, आदतों को प्रोत्साहित करती है। हमारे उपायों को सरल, प्रभावी और कुशल बनाए रखना आवश्यक और वास्तव में अनिवार्य है।"

29. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका सफल होती है और अनुमत की जाती है। जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया जाता है कि वे सर्पदंश से मृतका की असमय मृत्यु के लिए याचिकाकर्ता को प्रतिकर का लाभ प्रदान करें। जिलाधिकारी, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करेंगे।

(स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति)

(अजित कुमार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

मुकेश कुमार/#विक्रम/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।